

अत्यावश्यक
ईमेल

प्रेषक,

के० के० पाठक (मा०प्र०से०),
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-24.07.2023/

विषय :- राज्य स्कीम अन्तर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23.07.2018 एवं पत्रांक 1566 दिनांक 05.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन किया जाना है। इस संबंध में आपको विभागीय पत्रांक-1570, दिनांक 23.07.2018 के द्वारा शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक-1566, दिनांक 05.07.2019 के द्वारा आपको विस्तृत निर्देश पूर्व में दिया जा चुका है (छाया प्रति संलग्न)।

जिला स्तर पर शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की रिक्ति से संबंधित जिलावार विवरणी संलग्न करते हुए कहना है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन/सेवामुक्ति से संबंधित विवाद विचारण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है उतने पदों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्त शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन मार्गदर्शिका, 2018 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन नहीं हो।

शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन से संबंधित एक वर्क कैलेण्डर भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु०-यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह०/-

(के०के० पाठक)

अपर मुख्य सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1284.....

पटना, दिनांक-24.07.2023

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)/सभी सदस्य, राज्य संसाधन समूह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आर0के0महाजन,
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 05/07/19 /

विषय: महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-1570 दिनांक-23.07.2018

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति एवं मार्ग दर्शिका 2018 की मुद्रित प्रति संलग्न करते हुये कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत जिलों में रिक्त के विरुद्ध पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने का निदेश दिया गया था, जो अब तक लम्बित है। इस संबंध में अंकित करना है कि मार्गदर्शिका, 2018 के आलोक में रिक्त पदों पर चयन एवं नियोजन किया जाना शीघ्र आवश्यक है।

- (i) जिले के लिये निर्धारित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के लक्ष्य के अनुरूप ही चयन किया जायेगा। निर्धारित संख्या में रिक्त कोटि के स्वीकृत बल के अनुरूप होगी।
- (ii) किस टोले में केन्द्र खोला जाये इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले का सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेन्डरी सोर्स के आँकड़ों के आधार पर दलित- महादलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की ओर प्रखण्डवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आँकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है।
- (iii) सर्व प्रथम चयन का स्थान, चयन की कोटि (शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) महिला या पुरुष) निर्धारित किया जाएगा, जिसपर आपका अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (iv) किसी शिक्षा सेवक की यदि मृत्यु या पदत्याग करने से हुये रिक्त पदों पर जहाँ पूर्व के कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जायेगा। अर्थात्, जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहाँ एक साल की सेवा पूर्व के शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखण्ड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता (महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर) के बावजूद केन्द्र नहीं दिया जा सका था, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्रवाई होगी।

- (v) जिलों में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन किया जायेगा। शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।
- (vi) शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु एक बर्क कैलेण्डर तैयार कर दिया गया है (संलग्न)।
- (vii) सुलभता हेतु पूर्व से निर्धारित लक्ष्य एवं नियोजन के आलोक में जिला की रिक्ति की सूची संलग्न है।
- (viii) नियोजन में सहयोग हेतु प्रति प्रखण्ड दो अनुभवी व्यक्ति की टीम गठित की जाए। जिसमें से एक व्यक्ति संबंधित प्रखण्ड तथा दूसरा व्यक्ति किसी अन्य प्रखण्ड का हो। इस हेतु BEO/ SRG/ KRP/ BRP/CRCC का सहयोग लिया जा सकता है।

अनुरोध है कि अपनी देख-रेख में जिले के रिक्त पदों पर अभियान चलाकर माह अक्टूबर, 2019 तक चयन/नियोजन का कार्य मार्गदर्शिका, 2018 के अनुसार पूर्ण कराया जाए। नियोजन में स्वच्छता एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी प्रकार की स्पष्टता के लिये निदेशक, जन शिक्षा से दूरभाष सं०- 0612-2215413, मो०- 9431658291, ईमेल- slmabihar@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन


(आर०के०महाजन) 4/7/19


अपर मुख्य सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1566

पटना, दिनांक- 05/07/19

प्रतिलिपि :- निदेशक, जन शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)/सभी सदस्य, राज्य संसाधन समूह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना
उत्थान केन्द्र/तालीमी मरकज केन्द्र के रिक्त संबंधित प्रतिवेदन

क्र० सं०	जिला का नाम	उत्थान केन्द्र					तालीमी मरकज केन्द्र				
		निर्धारित लक्ष्य	कार्यरत शिक्षा सेवकों की संख्या	हटाये गये सामान्य जाति के शिक्षा सेवक ता०म० की संख्या	ऐसे अन्य सभी मामले जिसमें चयन/सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद विचारण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है, उनकी संख्या	रिक्त पदों की संख्या जिस पर तत्काल चयन किया जाना है। (3-(4,5,6)	निर्धारित लक्ष्य	कार्यरत शिक्षा सेवकों की संख्या	हटाये गये सामान्य जाति के शिक्षा सेवक ता०म० की संख्या	ऐसे अन्य सभी मामले जिसमें चयन/सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद विचारण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है, उनकी संख्या	रिक्त पदों की संख्या जिस पर तत्काल चयन किया जाना है। (8-(9,10,11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना	736	660	0	12	64	343	284	13	0	46
2	भोजपुर	753	676	0	3	74	382	336	2	1	43
3	बक्सर	82	75	0	1	6	60	57	0	1	2
4	रोहतास	687	646	0	0	41	307	291	0	0	16
5	कैमूर	255	235	0	1	19	89	69	3	0	17
6	नालंदा	509	448	0	7	54	128	101	0	0	27
7	मुँगेर	694	648	0	0	46	65	49	7	6	3
8	लखीसराय	200	182	0	0	18	26	24	0	0	2
9	जमुई	1068	989	0	1	78	123	0	0	0	123
10	शेखपुरा	265	246	0	2	17	28	26	0	0	2
11	खगड़िया	655	624	0	0	31	95	59	34	1	1
12	बेगूसराय	216	211	0	0	5	227	178	33	6	10
13	नवादा	471	428	0	0	43	151	111	11	11	18
14	गया	2089	2009	0	1	79	292	210	59	1	22
15	जहानाबाद	205	184	0	1	20	55	48	0	0	7
16	अरवल	61	56	0	0	5	35	23	9	0	3
17	औरंगाबाद	1293	1215	0	19	59	142	100	9	0	33
18	सीवान	162	131	0	0	31	208	165	16	16	11
19	सारण	35	33	0	0	2	244	193	20	5	26
20	गोपालगंज	35	31	0	0	4	266	172	0	0	94
21	बाँका	649	608	0	1	40	137	88	17	0	32
22	भागलपुर	471	422	0	2	47	306	249	32	0	25
23	कटिहार	826	790	0	5	31	736	695	19	1	21
24	किशनगंज	183	171	0	0	12	533	517	0	1	15
25	अररिया	568	493	1	0	74	535	508	0	0	27
26	पूर्णियाँ	371	339	0	0	32	500	490	1	1	8
27	वैशाली	204	167	0	7	30	187	69	20	2	96
28	मुजफ्फरपुर	416	368	0	0	48	402	265	4	65	68
29	सीतामढ़ी	208	203	0	0	5	411	203	173	8	27
30	शिवहर	74	67	0	0	7	58	39	0	0	19
31	पू० चम्पारण	926	855	0	0	71	546	481	2	0	63
32	प० चम्पारण	755	680	0	4	71	468	328	103	4	33
33	समस्तीपुर	1402	1325	0	0	77	257	180	34	0	43
34	दरभंगा	221	211	0	0	10	542	525	0	1	16
35	मधुबनी	1119	1090	0	1	28	581	531	0	1	49
36	सहरसा	291	271	0	2	18	158	116	13	8	21
37	सुपौल	98	90	0	1	7	218	173	24	0	21
38	मधेपुरा	747	586	0	0	161	159	105	31	0	23
Total		20000	18463	1	71	1465	10000	8058	689	140	1113

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना
शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु

371

वर्क कैलेंडर

क्र० सं०	कार्य	कार्य विवरणी	तिथि	जिम्मेवारी
1.	आबादी की प्रखण्डवार सूची तैयार करना	सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेन्डरी सोर्स के आंकड़ों के आधार पर पूरे जिले की महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की अधिकतम से घटते क्रम में (आबादी के आधार पर) प्रखण्डवार सूची तैयार करना।	31 जुलाई, 2023 तक	जिला पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पदाधिकारी
2.	रिक्ति निर्धारण	महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की प्रखण्डवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण।	05 अगस्त, 2023	जिला पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पदाधिकारी
3.	समिति गठन	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन।	14 अगस्त, 2023 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
4.	विज्ञापन	नियोजन हेतु एन०आई०सी० के वेबसाईट तथा प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस/सूचना के द्वारा प्रकाशन।	19 अगस्त, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
5.	आवेदन प्राप्त करना	समिति के सदस्य-सह-संयोजक (चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना। पंजी के पृष्ठांकन का सत्यापन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	04 सितम्बर, 2023 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
6.	मेधा अंक की गणना	नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाईट, प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करना।	09 सितम्बर, 2023	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
7.	आपत्ति आमंत्रण	मेधा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति प्राप्त करना, आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद देना तथा आपत्ति का तिथिवार पंजी में संधारण।	16 सितम्बर, 2023 तक	चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
8.	आपत्ति निराकरण	आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिन से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण।	19 सितम्बर, 2023 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
9.	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाईट/जिला कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन।	23 सितम्बर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
10.	मेधा सूची का अनुमोदन	मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना।	12 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
11.	प्रशिक्षण संबंधी सूचना	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को प्रशिक्षण संबंधी सूचना देना।	16 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
12.	प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का पांच दिवसीय प्रशिक्षण/उन्नमुखीकरण तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन नियोजन पत्र का वितरण।	26 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
13.	निदेशालय को सूचना	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के सूची का जन शिक्षा निदेशालय में प्रेषण।	31 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)